न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 158/2017 **RCMS 2017/00190**

वादी

1. जोधाराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत उम्र 40 वर्ष
2. रामेश्वरलाल पुत्र बोदूराम जाति बावरी उम्र 34 वर्ष
3. रमेश पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति खण्डेलवाल ब्रहाम्ण उम्र 31 वर्ष
4. प्रभूराम पुत्र रूपाराम कुल्डीया जाति जाट उम्र 24 वर्ष
5. भारत भूषण पुत्र किशोरी लाल जाति डाकोत उम्र 35 वर्ष
6. बंशीलाल पुत्र भवानाराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष उक्त सभी निवासी मण्डावरा तहसील कुचमानसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धुव्रसिंह खोले फूलसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी मण्डावरा हाल डूंगरी वाले बालाजी के पास, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

दावा :–वास्ते घोषणा करने भू–विभाजन एवं रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 व 209 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मोहम्मद हनीफ वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 11.3.2020

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मण्डावरा में प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि आई हुई है जिसके नये खसरा नम्बर 270 रकबा 1.88 हैक्टर के साथ अन्य खसरा नम्बर 94, 95, 120, 121, 260, 269, 644/121 आई हुई है। प्रतिवादी नं. 1 ने उक्त खसरा नम्बर 270 रकबा 1.88 हैक्टर बारानी प्रथम में निहीत अपने खातेदारी अधिकारो की 400 वर्गफीट कृषि भूमि वादी सं. 1 को दिनॉक 05.11.2015 को, इसी प्रकार 20[illegible] कृषि भूमि जरिये पंजिबद्व विक्रय विलेख दिनॉक 08.09.2014 [illegible] 19.08.2014 के विक्रय विलेख के जरिये वादी सं. 3 [illegible].2014 को 200 वर्ग फीट कृषि भूमि वादी सं. 4 को, वादी सं 5 को 360 वर्गफीट भूमि तथा वादी सं. 6 को 400 वर्गफीट कृषि भूमि दिनॉक 25.06.2013 को हस्तानान्तरित कर अन्तरित कर दी गई है, खसरा नम्बर 270 में से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण को अलग–अलग बेचाननामो के

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जरिये विक्रीत कृषि भूमियॉ एक बीघा से कम रकबा होने के कारण हल्का पटवारी ने वादीगण द्वारा क्रय सुदा कृषि भूमि में निहीत खातेदारी अधिकारो के सम्बन्ध में नामान्तरकरण प्रविष्टि दर्ज करने से इन्कार कर दिया ओर वादीगण के खातेदारी अधिकारो के द्वारा क्रयसुदा खातेदारी अधिकारो की प्रविष्टि अधिकार अभिलेख में दर्ज नही करने के कारण वादीगण के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणार्थ वाद लाना लाजमी हुआ, रेकर्डेड खातेदार को अपने खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि को धारा 42 के तहत बेचान अन्तरण करने का अधिकार है, पंजिबद्व विक्रय विलेख में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचानसुदा कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को कब्जा हस्तानान्तरित करना स्वीकार किया है और वादीगण क्रेताओं के नाप जमांबदी में अंकन नही होने से वादीगण के क्रय सुदा खातेदारी अधिकारो की घोषणार्थ दावा प्रस्तुत करने से किसी प्रकार का विपरीत असर नही पड़ता है क्योकि नामान्तरकरण केवल फिस्कल प्रविष्टि है इससे अधिकार तय नही होते है, खसरा नम्बर 270 इससे मौके पर रेकर्डेड खातेदार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा हस्तानान्तरित किये गये खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि पर वादीगण प्रस्तुत परिशिष्ट "क" अनुसार मौके पर काबिज है तथा इसमें दर्शाये कलर अनुसार वादीगण काबिज है जिस पर वादीगण को प्रतिवादी नं. 1 द्वारा खसरा नम्बर 270 में से रेल्वे स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड़ पर कब्जा सुपुर्द किया गया है मौके पर वादीगण का पक्का निर्माण मौजूद है, वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 अपना खाता विभाजन अलग करवाकर उसी अनुसार उसे नक्शे में तरमीम करवा कर अपने नाम से अलग अलग कायम करवाना चाहते है, वाद विषयक आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की कृषि भूमि संयुक्त होने से रकबा को सुधारने, विकास कार्य करवाने उपयोग उपभोग में लेने वास्ते वादी के समक्ष बहुत कठिनाईयॉ आती है, इसलिए खाता विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है, वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 270 रकबा 1.88 हैक्टर बारानी प्रथम में उपरोक्तानुसार हुये बेचान पंजीबद्व दस्तावेज अनुसार कृषि भूमि में खातेदार होने की घोषणा फरमाई जाकर उपरोक्तानुसार प्रतिवादी नम्बर 1 का रकबा कम किया जाकर राजस्व अधिकार अभिलेख मे वादीगण के रकबे की प्रविष्टि दर्ज फरमाई जावे, उक्त अनुतोष की अनुपालना में वादीगण के खातेदारी व आधिपत्य के खरीदसुदा क्षेत्रफल क्रमशः 400, 200, 200, 200, 360, 400 वर्गमीटर में राजस्व रेकर्ड में वादीगण के हक हिस्सा में पृथक खाते के रूप में अधिकार अभिलेख जमाबंदी वगैरह तथा वादीगण के क्रय सुदा हक हिस्सा को मौके पर काबिज चले आ रहे पड़ौस अनुसार कृषि भूमि की जमांबदी व राजस्व नक्शे में दर्ज करने एवं वादीगण को मौके पर चले आ रहे कब्जा अनुसार विभाजन के अधिकार प्राप्त हक हिस्से का एनसलेरी अनुतोष के तहत विधिवत आधिपत्य दिलवाये जाने बाबत डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में विभाजन अनुसार अमल दरामदगी के आदेश व डिक्री सादिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

फरमाई जावे, वादीगण के हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण की कब्जे की भूमि मे वह किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में किसी प्रकार का शपथ–पत्र प्रस्तुत नही करना चाहा, दस्तावेजी साक्ष्य में बेचान दस्तावेजात की छाया प्रतियॉ, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, जमाबन्दी नकल, गिरदावरी नकल, प्रस्तुत की है।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, वकील वादी ने बहस दौरान बताया है कि प्रतिवादी सं. 1 से क्रय सुदा भूखण्ड/कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने तथा बंटवारा कराया जाकर खातेदारी पृथक–पृथक दर्ज करवाये जाने के आदेश फरमावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया।

" राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–1 विभाग परिपत्र क्रमांक/एफ–3(63) राज/ग्रुप–1/ 2009/ जयपुर, दिनॉक 28.04.2011 अनुसार पंजीकृत क्रय–पत्र में भूमि का क्षेत्रफल कृषि–भूमि के क्षेत्रफल या रकबे के लिए राजस्थान में प्रचलित मानक माप ईकाईयों अर्थात बीघा, बिस्वा, हैक्टेयर, हेयर या एकड़ में ही वर्णित होना आवश्यक है, वर्ग/वर्गगज, फीट/वर्गफीट अथवा मीटर/वर्गमीटर आदि माप इकाईया कृषि–भूमि के प्रयोजनार्थ मानक नाप इकाईयां नही है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा कृषि–भूमि का क्रय कृषि प्रयोजनार्थ किया गया है और ऐसे क्रय का नामान्तरकरण दर्ज होने से पूर्व अथवा नामान्तरकरण दर्ज/प्रमाणीकरण होने के बाद भी उक्त कृषि भूमि का नियमानुसार अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराये बिना अकृषि प्रयोजनार्थ में उपोगय कर लिया जाता है तो ऐसे प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करने पर यदि सम्बन्धित क्रेता अथवा पश्चातवर्ती क्रेतागण द्वारा नियमानुसार शास्ति जंमा करा कर अवैध रूप से किये गये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग का नियमन नही कराया जाता है तो उक्त क्रेता अथवा उसके पश्चातवर्ती क्रेतागण जैसी भी स्थिति हो, को उक्त भूमि पर अतिक्रमी माना जावेगा और उनके विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जावेगी मानो उक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी विधिक प्राधिकार के कब्जा किया है और कब्जे में बने हुये है, यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए (5) (ग) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत भी कार्यवाही की जावेगी मानो उक्त भूमि के खुर्द–बुर्द होने या उसको क्षति कारित होने या उसके हस्तानान्तरण का खतरा है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:29 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त कृषि भूमि का भिन्न उपयोग किया जा रहा है तथा मौके पर आवासीय

उपखण्ड अधिकारी
... सिटी (नागौर)

भूखण्ड एवं वाणिज्यिक भूखण्ड काटे गये है तथा मौके पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि से अकृषि प्रयोग किया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी द्वारा उपयोग में ली जानी भूमि वर्ग फीट में तथा कृषि प्रयोजन में काम नही आ रही है तथा मुताबिक जमाबन्दी अनुसार वादीगण आज दिन खातेदार काश्तकार भी नही है उपरोक्त भूमि का छोटे–छोटे टुकड़ो में बेचान होने के कारण नामान्तरकरण भी आज दिन तक नही हुआ है, वादीगण के खातेदार काश्तकार एवं रेकार्ड में नाम दर्ज नही होने एवं कृषि भूमि नही होने तथा उक्त परिपत्र में वर्णित बिन्दू उपरोक्त भूमि पर ताईद होने के कारण वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने, छोटे–छोटे टुकड़ो में बेचान होने, कृषि भूमि नही होने तथा बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये उपरोक्त भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लेने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 11.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी **मुकाम : कुचामन सिटी**

बइजलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 158/2017 **RCMS 2017/00190**

वादी

1. जोधाराम पुत्र भूराराम जाति कुमावत उम्र 40 वर्ष
2. रामेश्वरलाल पुत्र बोदूराम जाति बावरी उम्र 34 वर्ष
3. रमेश पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति खण्डेलवाल ब्रहाम्ण उम्र 31 वर्ष
4. प्रभूराम पुत्र रूपाराम कुल्डीया जाति जाट उम्र 24 वर्ष
5. भारत भूषण पुत्र किशोरी लाल जाति डाकोत उम्र 35 वर्ष
6. बंशीलाल पुत्र भवानाराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष उक्त सभी निवासी मण्डावरा तहसील कुचमानसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धुव्रसिंह खोले फूलसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी मण्डावरा हाल डूंगरी वाले बालाजी के पास, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

दावा :–वास्ते घोषणा करने भू–विभाजन एवं रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 व 209 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री मोहम्मद हनीफ हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने, छोटे–छोटे टुकड़ो में बेचान होने, कृषि भूमि नही होने तथा बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये उपरोक्त भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लेने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 3 सन् 2020 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]ताना [illegible]ल		
महन्ताना वकिल			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहन			फिस [illegible]नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुत[illegible]क		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:22:29 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.14 11:52:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: